# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

| अपील संख्या | रजिस्टर्ड नंबर | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 12/81/2023 | 2023/361 | 26.07.2023 | 01.05.2025 |

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

**बनाम**

01. श्री मिथिलेश उर्फ बिहारी पुत्र श्री श्याम प्रसाद, निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना रोही जिला नालंदा, बिहार हाल निवासी 2/1 एनईबी अलवर राज0।

—अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 09 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी (14.2 किग्रा.), 4 मोटर मय सुरक्षा पाईप (बिना मार्का), 7 रेग्यूलेटर, 1 वेईंग मशीन (होण्डा मार्का) को राजसात करने बाबत।**

उपस्थिति :—

1. प्रवर्तन अधिकारी —विभागीय प्रतिनिधि।
2. श्री मो0 फारूख खान —वकील अप्रार्थी।

**—:: निर्णय ::—**

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 9 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी (14.2 किग्रा), 4 मोटर मय सुरक्षा पाईप (बिना मार्का), 7 रेग्यूलेटर, एक वेईंग मशीन (होण्डा मार्का) को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 18.10.2022 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु मै० सुहानी गैस चूल्हा सर्विस, सब्जी मण्डी पूल के नीचे, अलवर पर पहुंचे।

मौके पर स्थित दुकान पर श्री मिथलेश उर्फ बिहारी उपस्थित मिले। मौके पर श्री मिथलेश द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) में से इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से एलपीजी गैस को निकालकर वाहनों में भरने का कार्य किया जा रहा था। मौके पर श्री मिथलेश की दुकान की जांच की गई, जिसमे 9 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी (14.2 किग्रा). 4 मोटर मय सुरक्षा पाईप (बिना मार्का), 7 रेग्यूलेटर, एक वेईंग मशीन (होण्डा मार्का) पाये गये। श्री मिथलेश द्वारा घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।

इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री मिथलेश द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक कार्य में दुरूपयोग किया जा रहा था, जोकि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 9 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी (14.2 किग्रा), 4 मोटर मय सुरक्षा पाईप (बिना मार्का), 7 रेग्यूलेटर, एक वेईंग मशीन (होण्डा 'मार्का) को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 9 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी (14.2 किग्रा), 4 मोटर नय सुरक्षा पाईप (बिना मार्का), 7 रेग्यूलेटर, एक वेईंग मशीन (होण्डा मार्का) को प्रसन्ना गैस एजेंसी, अलवर के प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र अग्रवाल

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल निवासी 60 फुट रोड, मूर्ति मोहल्ला, आजाद नगर, अलवर को सुरक्षा की दृष्टि से सुपुर्दगी में दिया गया।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 9 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी (14.2 किग्रा), 4 मोटर मय सुरक्षा पाईप (बिना मार्का), 7 रेग्यूलेटर, एक वेईंग मशीन (होण्डा मार्का) को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में जवाब पेश कर कथन किया कि श्री विनोद जुनेजा प्रवर्तन अधिकारी, शहर अलवर द्वारा अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत प्रा० पत्र पेश कर श्री मिथिलेश उर्फ बिहारी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किलोग्राम) में से इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से एलपीजी गैस को निकालकर वाहनो के रिफलिंग (भरने) का कार्य किया जा रहा था। मौके पर मिथलेश की दुकान की जाँच की गई जिसमें 9 घरेलू सिलेण्डर एच०पी० (14.2 किग्रा), 4 मोटर मय सुरक्षा पाईप (बिना मार्का), 7 रेग्यूलेटिंग एक वेईंग मशीन (होण्डा मार्का) पाये गयें मिथलेश द्वारा घरेलू सिलेण्डरो के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने का आरोप घडित करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के दण्डनीय आरोप के तहत नोटिस भिजवाया गया हैं जावे नोटिस गलत हैं। मिन प्रार्थी अपने निजी कार्य से गया हुआ ना मिन प्रार्थी किसी प्रकार की घरेलू गैस का दुरूपयोग नहीं करता हैं। मिन प्रार्थी का नोटिस में कथित अपराध से कोई लेना –देना, वास्ता सरोकार नहीं हैं। मिन प्रार्थी अपनी निजी कार्य से गया हुआ था और वहाँ पर केवल मात्र खडा था। वास्तविक आरोपी मौके से फरार हो गया। मिन प्रार्थी मौके पर मौजूद होने के कारण मिन प्रार्थी का फोटो जबरन खिचा गया हैं। मिन प्रार्थी प्रसन्ना गैस एजेंसी से कोई लेना–देना वास्ता सरोकार किसी प्रकार का नहीं हैं। मिन प्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक गैस सिलेण्डर में रिफिलिंग द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (पदार्थ ओर वितरण विनियमन) आदेश 2000 या अन्य किसी विधि का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया हैं।

अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि जवाब नोटिस स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को नोटिस के भार से मुक्त जाने की की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब का मनन किया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर श्री मिथलेश उर्फ बिहारी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) में से इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से एलपीजी गैस को निकालकर वाहनों में भरने का कार्य किया जा रहा था। वक्त जांच मौके पर श्री मिथलेश की दुकान की जांच की गई, जिसमे 9 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी (14.2 किग्रा). 4 मोटर मय सुरक्षा पाईप (बिना मार्का), 7 रेग्यूलेटर, एक वेईंग मशीन (होण्डा मार्का) पाये गये। श्री मिथलेश द्वारा घरेलू सिलेण्डरों आदि के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री मिथलेश उर्फ बिहारी द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक कार्य में दुरूपयोग किया जा रहा था, जोकि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 9 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी (14.2 किग्रा), 4 मोटर मय सुरक्षा पाईप (बिना मार्का), 7 रेग्यूलेटर, एक वेईंग मशीन (होण्डा मार्का) को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 9 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी (14.2 किग्रा), 4 मोटर मय सुरक्षा पाईप (बिना मार्का), 7 रेग्यूलेटर, एक वेईंग मशीन (होण्डा मार्का) को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा।

**निर्णय आज दिनांक 01.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

**(मुकेश कुमार कायथवाल)**
**अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)**
**अलवर, (राज0)**